

सदस्यों से पुनः अनुरोध किया जाता है कि परिषद द्वारा प्रदत्त विभिन्न सेवाएं जैसे प्रदर्शनों इत्यादि के साथ केपी शुल्क में रियायत का अविराम लाभ लेने हेतु अपनी सदस्यता का नवीनीकरण 30 अप्रैल 2014 अथवा उससे पूर्व अवश्य करवा लें।

साधारण सदस्य इस बात का पूरा ध्यान रखे कि प्रशासनिक समिति के चुनाव में मतदान करने / सहभागी होने के लिए उनको अपनी सदस्यता का नवीनीकरण 30 अप्रैल 2014 तक या इससे पूर्व किया जाना अनिवार्य है। कृपया ध्यान रखे कि परिषद के रिकॉर्ड में दर्ज केवल अधिकृत प्रतिनिधि ही चुनाव प्रक्रिया में सहभागी हो सकते हैं। अतः सदस्य इसकी जांच कर ले।

प्रशासनिक समिति की तारीख 26 मार्च 2014 के 11 बी बैठक में लिए गए निर्णयानुसार 1 अप्रैल 2014 से परिषद कि सदस्यता पंजीकरण के लिए एक अतिरिक्त श्रेणी का समावेश “सिल्वर जैलरी” का किया गया है जिसका अलग से प्रतिनिधि, प्रशासनिक समिति में 2014 चुनाव के पश्चात से होगा।

अतः वर्तमान मे “अदर प्रेसीअस मेटल जैलरी” पैनल मे पंजीकृत सदस्य यदि सिल्वर जैलरी का निर्यात कर रहे हो और अपना पैनल बदलना चाहे तो अपने अधिकार का प्रयोग कर पैनल बदल सकते हैं, भुगतान चालान के निर्यात घोषणा पत्र को यथानुसार संशोधित किया गया है जिससे सिल्वर जैलरी निर्यात के आंकड़ों को अलग से आलोच्य वर्ष मे संकलित किया जा सके।

सदस्य गण कृपया नोट करे कि परिषद ने वर्ष 2014 -15 से अपने सभी सदस्यों (एसोसिएट /साधारण सदस्य) को फोटो पहचान पत्र जारी करने का निर्णय लिया है। इस संबंध मे सदस्यों को विवरणवार परिपत्र जल्द ही भेजा जाएगा, कृपया नोट कर ले कि परिषद द्वारा अनोमोदित डिजिटली हस्ताक्षरित सदस्यता प्रमाण पत्र सदस्यों को उनके सदस्यता डैश बोर्ड पर ऑनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था परिषद कर रही है।

यदि कोई भी संशय हो तो बेझिझक आप सदस्यता विभाग से फोन नं.91-22-26544704/705/708 या membership@gjepcindia.com पर संपर्क कर सकते हैं।

धन्यवाद,

मध्यसाची २०१८

तर्फ़े, रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद

सब्यसाची राय

कार्यकारी निदेशक,

संलग्न : उपरोक्त | The Gem & Jewellery Export Promotion Council

रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद

मुख्य कार्यालय: टॉवर-ए, अडब्ल्यू-1010, जी.ब्लॉक, भारत डायमंड बोर्स, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लैक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. (भारत)
Head Office: Tower-A, AW-1010, G Block, Bharat Diamond Bourse, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai - 400 051. (India)

फोन / Tel.: 91-22-2654 4600 फैक्स / Fax: 91-22-2652 47 64

ई-मेल / E-mail: gjepc@vsnl.com / ho@gjepcindia.com वेबसाइट / Website: <http://www.gjepc.org>

परिशिष्ट-1

वित्त वर्ष 2013-14 के लिए सदस्यता शुल्क

1-सदस्यता शुल्क :- वर्ष 2014 -15 के लिए सदस्यता शुल्क चलान में दर्शाए गए निर्यात एवं आयात की स्वतः घोषणा के साथ वर्ष 2013-14 में फर्म के निर्यात निष्पादन के अनुसार देय होगा।

3-सेवा कर :- दिनांक 07-07-2009 की अधिसूचना सं.16/2009-एसटी के अनुसार प्रवेश शुल्क और सदस्यता शुल्क पर 12.36 % की दर से सेवा कर देय होगा।

4-वर्ष 2014 -15 के लिए आपकी एसोसिएट सदस्यता/साधारण सदस्यता के नवीनीकरण हेतु आपके द्वारा निम्नलिखित राशि देय है :

वर्ष 2013-14 के दौरान रत्न एवं आभूषण का निर्यात निष्पादन	वर्ष 2014-15 के लिए सदस्यता शुल्क रु.	सेवा कर 12.36 % की दर से रु.	देय कुल शुल्क रु.
25 लाख रु. तक निर्यात	6000/-	742/-	6742/-
25 लाख रु. से अधिक और 1 करोड रु. तक निर्यात	10,000/-	1,236/-	11,236/-
1 करोड रु. से अधिक और 5 करोड रु. तक निर्यात	15,000/-	1,854/-	16,854/-
5 करोड रु. से अधिक और 15 करोड रु. तक निर्यात	30,000/-	3,708/-	33,708/-
15 करोड रु. से अधिक और 50 करोड रु. तक निर्यात	40,000/-	4,944/-	44,944/-
50 करोड रु. से अधिक और 100 करोड रु. तक निर्यात	65,000/-	8,034/-	73,034/-
100 करोड रु. से अधिक और 500 करोड रु. तक निर्यात	1,00,000/-	12,360/-	1,12,360/-
500 करोड रु. से अधिक और 100 करोड रु. तक निर्यात	1,50,000/-	18,540/-	1,68,540/-
1000 करोड रु. से अधिक निर्यात	2,00,000/-	24,720/-	2,24,720/-

नये सदस्य के लिए प्रवेश शुल्क/विलंब से नवीनीकरण शुल्क रु.5000 + सेवा कर (12.36%)

4-बकाया भुगतान:- विधिवत बुलाई गई प्रशासन समिति (सीओए) की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार यह भी नोट किया गया कि तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष में परिषद का किसी सदस्य पर बकाया कोई या सभी भुगतान को वित्त वर्ष 2014 -15 के लिए संबद्ध फर्म की सदस्यता के नवीनीकरण के समय गंभीरता से लिया जाएगा यदि वह परिषद की संतुष्टि के अनुरूप न्यायोचित नहीं है।

इस संदर्भ में, यह सूचित किया जाए कि परिषद को देय सभी भुगतानों को उस स्थिति में बकाया माना जाएगा यदि वह परिषद की ओर बकाया और देय हो और वह परिषद द्वारा जारी किए गए बिल की तारीख से 3 (तीन) माह से अधिक समय से बकाया हो तो इस संबंध में परिषद के निर्णय को अंतिम माना जाएगा यदि बिल के राशि के कोई असंगति/विवाद हो तो ऐसे बिल जारी करने की तारीख से 30 (तीस) दिन के भीतर परिषद की जानकारी में न लाया गया हो उसे भी बकाया माना जाएगा।

5- कंपनी समूह :- सदस्यों के लिए यह नोट करना अनिवार्य है कि कंपनी समूह की प्रत्येक कंपनी के लिए सदस्यता का नवीनीकरण करना अपेक्षित है, ऐसा न करने पर सदस्यता केवल उस कंपनी विशेष के लिए ही वैध मानी जाएगी जिसने अपनी सदस्यता का नवीनीकरण करा लिया है और जिसका नाम सदस्यता नवीनीकरण प्रपत्र और प्राप्ति चलानों में दर्शाया गया है। शंका के निवारण हेतु परिषद द्वारा प्रदत्त सुविधाएं उन्हीं सदस्यों को प्रदान की जाएंगी जिनके नाम सदस्यता नवीनीकरण प्रपत्र, प्राप्ति चलान, सदस्यता प्रमाण-पत्र और परिषद द्वारा जारी आरसीएमसी में दर्शाए गए हों। अतः यह उल्लेखनीय है कि किसी समूह में आने वाली प्रत्येक कंपनी को इन शर्तों के अनुसार अपनी सदस्यता का नवीनीकरण कराना चाहिए।

7-नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत न करना :- प्रशासन समिति ने आगे यह निर्णय लिया कि सदस्यता के नवीनीकरण के अभाव में फर्म को संस्था के ज्ञापन और अंतर्नियम के अनुच्छेद 11.1 तथा 11.2 के अनुसरण में परिषद द्वारा प्रदत्त विभिन्न विशेषाधिकारों का प्रयोग करने और परिषद के सदस्यों को निम्नलिखित में भागीदारी हेतु प्रदान किए जाने वाले ऐसे कार्यकलापों तथा सुविधाओं की अनुमति नहीं दी जाएगी :

- * भारत/विदेश में कोई आयोजन/प्रदर्शनी.
- * प्रतिनिधिमंडलों में भागीदारी.
- * क्रेता-विक्रेता सम्मेलनों में भागीदारी.
- * वार्षिक पुरस्कार हेतु नामांकन.
- * सॉलिटेर इंटरनेशनल, आइडियल कट एवं परिपत्रों की प्राप्ति.
- * सेमिनारों एवं कार्यशालाओं में उपस्थिति.
- * वीजा हेतु संस्तुति पत्र.
- * विदेश में आयोजित प्रदर्शनियों, व्यापार संवर्धन दौरों, विदेश में ब्रांडेड आभूषणों के प्रदर्शन आदि में भागीदारी हेतु अनुमतियाँ.

सामान्य नियम एवं उपनियम

1- सदस्यता नियमों के बारे में मेमोरांडम एण्ड आर्टिकल ॲफ एसोसिएस के परिच्छेद 1 और सदस्यता हेतु मापदंड।

2- सदस्यों की श्रेणियाँ.

3-1 परिषद के सदस्यों की श्रेणियाँ.

परिषद में सदस्यों की निम्नलिखित श्रेणियाँ होंगी अर्थात :

(क) एसोसिएट सदस्य :

(ख) साधारण सदस्य :

3.2- एसोसिएट सदस्य

कोई व्यक्ति उस उत्पाद के संबंध में जिससे परिषद संबंधित है, विदेश व्यापार महानिदेशालय, भारत सरकार से आयात-नियांत कोड संख्या प्राप्त करने के बाद एसोसिएट सदस्य के रूप में परिषद में प्रवेश लेने का पात्र होगा।

3.3- साधारण सदस्य

परिषद की साधारण सदस्यता हेतु पात्रता के लिए किसी व्यक्ति को निम्नलिखित अपेक्षाओं की पूर्ति करनी चाहिए, अर्थात :

(क) वह अर्थवा उसके द्वारा प्रतिनिधित्व की गई कंपनी कम से कम तीन वर्ष तक परिषद की एसोसिएट सदस्य होनी चाहिए।

(ख) उसके अथवा उसके द्वारा प्रतिनिधित्व की गई कंपनी के खाते में तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष की तीन वित्तीय वर्षों के दौरान एसोसिएट सदस्य हो।

(ग) उत्पाद के संबंध में औसत निर्यात नीचे उल्लिखित राशि से कम नहीं होने चाहिए :

(i) लघु उद्योग 10 लाख रु.

(ii) अन्य 25 लाख रु.

8.-परिषद की सदस्यता हेतु अयोग्यताएँ

8.1- अयोग्यता

कोई व्यक्ति परिषद का सदस्य बनने अथवा सदस्य के रूप में बने रहने के लिए अयोग्य हो जाएगा, यदि

(1) उसे सक्षम न्यायालय द्वारा मानसिक रूप से असक्षम पाया गया हो;

(2) उसने दिवालियापन हेतु न्याय-निर्णयन हेतु आवेदन किया हो अथवा ऐसा न्याय निर्णीत हो गया हो;

(3) उसे किसी न्यायालय द्वारा अनैतिक आचरण के किसी अपराध में दोषी ठहराया गया हो और उसे 6 माह से अधिक के कारागार की सजा सुनाई गई हो।

(4) उसने अथवा ऐसी किसी फर्म जिसका वह भागीदार है अथवा ऐसी किसी निजी कंपनी जिसका वह निदेशक है, ने अधिनियम की धारा 295 या धारा 299 का उल्लंघन किया हो।

(5) वह अधिनियम की धारा 203 के अंतर्गत न्यायालय के आदेश द्वारा अयोग्य बन गया हो।

(6) वह उस कंपनी का सदस्य न रह गया हो जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है अथवा ऐसी कंपनी जो परिषद की सदस्य न रह गई हो।

(7) अनुच्छेद 8.2 के अंतर्गत उसका नाम सदस्य रजिस्टर से हटा दिया गया हो।

8.2- समिति द्वारा निष्कासन

समिति किसी सदस्य को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद किसी विशिष्ट अवधि के लिए अथवा अनिश्चित काल के लिए उक्त सदस्य के नाम को सदस्य रजिस्टर से हटा सकती है :

- यदि उसने सदस्यता की किसी शर्त का उल्लंघन किया हो, अथवा
- यदि उसके पास सदस्यता शुल्क अथवा परिषद को उसकी ओर से देय किसी अन्य राशि का भुगतान 6 माह से अधिक समय तक लंबित पड़ा हो, अथवा
- यदि वह परिषद या समिति की बैठकों में असामान्य आचरण का दोषी पाया गया हो; अथवा
- यदि उसे अन्यथा सदस्य बनने में आचरणगत दोषी पाया गया हो, अथवा
- यदि वह अनुच्छेद 8.1 के अंतर्गत अयोग्य बन गया हो।

8.3-एसोसिएट सदस्यता में परिवर्तन

समिति किसी सदस्य को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद साधारण सदस्य की सदस्यता को एसोसिएट सदस्यता में परिवर्तित कर सकती है यदि तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष के बाद वित्त वर्ष के दौरान उत्पाद के निर्यातक के रूप में उसका निष्पादन अनुच्छेद 3.2 के खण्ड(ख) में उल्लिखित औसत से कम रहा हो।

11- सदस्यों के विशेषाधिकार

11.1-साधारण सदस्य

परिषद के मेमोरांडम एण्ड आर्टिकल में साधारण सदस्यों को प्रदत्त सभी अधिकारों के साथ इन अंतर्नियमों के अन्य उपबंधों के अधीन साधारण सदस्यों के पास निम्नलिखित अधिकार और विशेषाधिकार होंगे अर्थात :

- (1) समिति के सदस्य के चुनाव हेतु उम्मीदवार के रूप में खड़े होने और वोट देने का अधिकार तथा परिषद के किसी बैठक में लाए गए सभी मामलों पर वोट देने का अधिकार बशर्ते मतदान के वर्ष में

- 1 अप्रैल को उनके द्वारा परिषद की तरफ अंशदान अथवा अन्य राशि अथवा प्रभार की कोई राशि बकाया न हो।
- (2) इन अंतर्नियमों में किए गए प्रावधान के अनुसार बैठक का आग्रह करने का अधिकार;
 - (3) निर्धारित शुल्क के भुगतान पर समिति की वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने का अधिकार;
 - (4) निर्धारित शर्तों पर परिषद का प्रकाशन प्राप्त करने का अधिकार; और
 - (5) निर्धारित शर्तों पर ऐसी सभी सुविधाओं का उपयोग करने का अधिकार जिन्हें परिषद द्वारा समय-समय पर ऐसे सदस्यों को उपलब्ध कराया जाए।

11.2-एसोसिएट सदस्य

परिषद के मेमोरंडम एण्ड आर्टिकल में सदस्यों को प्रदत्त सभी अधिकारों के साथ सदस्यों के पास निम्नलिखित अधिकार और विशेषाधिकार होंगे, अर्थात्:

- (1) निर्धारित शुल्क के भुगतान पर समिति की वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने का अधिकार;
- (2) निर्धारित शर्तों पर परिषद के प्रकाशन प्राप्त करने का अधिकार; और
- (3) निर्धारित शर्तों पर ऐसी सभी सुविधाओं का उपयोग करने का अधिकार जिन्हें परिषद द्वारा समय-समय पर उपलब्ध कराया जाए।

सुविधाएं, अर्थात्

- (i) भारत/विदेश में कोई आयोजन/प्रदर्शनी.
- (ii) प्रतिनिधिमंडल.
- (iii) क्रेता-विक्रेता सम्मेलन.
- (iv) वार्षिक पुरस्कार.
- (v) सॉलियेटर इंटरनेशनल, आइडियल कट एवं परिपत्रों की प्राप्ति.
- (vi) सेमिनारों एवं कार्यशालाओं में उपस्थिति.
- (vii) वीजा हेतु संस्तुति पत्र.
- (viii) विदेश में आयोजित प्रदर्शनियों हेतु व्यक्तिगत रूप से ले जाने वाली मर्दों के बारे में अनुमति.

11.3- नामांकित एवं सहयोजित सदस्य

किसी नामांकित या सहयोजित सदस्य के पास मत देने का कोई अधिकार नहीं होगा।

13- विशेषाधिकार का स्थगन

13.1- अंशदान का भुगतान न करना

यदि कोई सदस्य (साधारण या एसोसिएट), जिस वर्ष के लिए अंशदान देय बनता है, उस वर्ष की 30 अप्रैल तक अपने वार्षिक अंशदान का भुगतान करने में विफल रहता है, तो

(क) वह ऐसे सदस्य के रूप में किसी अधिकार या विशेषाधिकार का प्रयोग करने का पात्र नहीं होगा, और

(ख) समिति उसकी सदस्यता निलंबित कर सकती है, उसका निलंबन तब तक रहेगा जब तक वह बकाया भुगतान नहीं करता है, और समिति इस तरह के बकाया लिखित रूप में स्वीकार करती है और बाद में उसकी सदस्यता को पुनर्स्थापित कर सकती है।

परिशिष्ट-2

नवीनीकरण हेतु सदस्यता शुल्क को जमा करने की विधि

सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने खुद के हित में नीचे दिए गए दिशानिर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करें और कोई कठिनाई होने की स्थिति में तत्काल परिषद से संपर्क करें।

1. निर्धारित चालान पर बैंक द्वारा भुगतान प्राप्ति की मुहर वाले प्रति की फोटो कॉपी परिषद में जमा करें।
2. मुंबई में स्थित सदस्य केवल आईसीआईसीआई बैंक के निम्नांकित शाखाओं में भुगतान कर सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक, टावर-ई, तल महला, भारत डायमन्ड बोर्स, बांद्रा कुला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400,051 तथा आई.सी.आई.सी.आई बैंक, ॲपरा हाउस ब्रांच, डॉ.डी.बी.मार्ग, मुंबई- 400 004, में।
3. सदस्यता, बैंक में चेक के भुगतान बाद ही दी जाएगी, न की बैंक में चेक/डीडी/पीओ जमा करने के तारीख के आधार पर।
4. यदि चेक का भुगतान नहीं हुआ या किसी भी वजह से बैंक ने वापस भेज दिया तो तत्काल प्रभाव से सत्स्यता निलंबित मानी जाएगी।
5. यदि किसी सदस्य को सदस्यता की तत्काल आवश्यकता हो तो वह देय शुल्क का भुगतान जीजेईपीसी के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा पे ऑर्डर द्वारा किसी भी अधिकृत बैंक में कर त्वरित लाभ ले सकता है। कृपया पे ऑर्डर /डीडी के पीछे अपने कंपनी का नाम और संपर्क नंबर अवश्य लिखें।
6. वेबसाइट से चलान की तीन प्रतियों को मुद्रित किया जा सकता है, और उसे सदस्यता शुल्क के साथ उपरोक्त क्रम सं. 2 में दिये गये विवरणानुसार आईसीआईसीआई बैंक में जमा करना है।
7. भुगतान के बाद बैंक से प्राप्त प्रतिलिपि परिषद के लिए ई-मेल द्वारा भी भेजी जा सकती है। कृपया संदर्भ हेतु विषय पंक्ति में सदस्यता संख्या का उल्लेख करें।
8. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने स्वयं के रिकॉर्ड के लिए चालान की एक फोटोकॉपी अपने पास रखें।
9. भुगतान चालान किसी भी कॉलम को खाली छोड़ बिना पूरी तरह से पूरा भरना चाहिए।
10. निर्यात/आयात की घोषणा चालान के निगमित शामिल मामले के रूप मालिक/भागीदार /निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए और फर्म की मुहर के साथ बिना किसी भी गलती के जमा किया जाना

चाहिए। हर ऐसे स्वयं घोषणा को परिषद द्वारा सही और वैध अर्थ लगाया जाएगा और इस प्रकार सरकार के एक प्राधिकारी या संस्था की तरह के तहत आदेश प्रसार के लिए माना जाएगा। ऐसे किसी त्रुटिपूर्ण घोषणा के सदस्य परिषद को क्षतिरहित रखने के लिए सहमत हैं, जो कि सुरक्षित और हानिरहित होने के साथ किसी भी तीसरे पक्ष के आयात/निर्यात के घोषित दावे के प्रसार में से यदि कोई भी झूठ निकला तो यह झूठ की क्षतिपूर्ती सदस्य की जिम्मेदारी होगी।

11. सदस्यता शुल्क का भुगतान एफओबी मूल्य के आधार पर किया जाना आवश्यक है जो वर्ष 2013 - 14 के दौरान रत्न और आभूषण के निर्यात वस्तुओं (01/04/2013 से 31-3-2014 तक यानी, दोनों दिन शामिल) के मूल्य के रूप में परिशिष्ट-1 में दिखाया गया है।
12. बैंक द्वारा पृस्थांकित, भुगतान चालान को सदस्य ई-मेल, कूरियर या व्यक्तिविशेष के माध्यम से परिषद के संबद्ध कार्यालय जिनका विवरन परिशिष्ट संख्या 3 में दी गई है को भेज सकते हैं।
13. प्रशासनिक समिति के चुनाव में मतदान करने /सहभागी होने के लिए साधारण सदस्यों को अपने सदस्यता का नवीनीकरण 30 अप्रैल 2014 से पहले करवाना अनिवार्य है।
14. परिषद द्वारा पैनल में बदलाव संबंधित आवेदन बैंक द्वारा सत्यापित हस्ताक्षर स्लिप के साथ 30 अप्रैल 2014 तक स्वीकार किया जाएगा। संबंधित प्रक्रिया परिषद के वैबसाइट के सदस्यता डैश बोर्ड पर उपलब्ध है।

परिशिष्ठ – 3
परिषद के मुख्य तथा क्षेत्रीय कार्यालयों की सूची

Chennai

The Gem & Jewellery Export Promotion Council
Ankur Plaza, III Floor, 113 (Old No. 52) G.N. Chetty

New Delhi

The Gem & Jewellery Export Promotion Council
E-17-18, Flattened Factories Complex, Jhandewalan

Chairman : Mr. S. Venkateswaran
Phone : 044-2222 4222
Email : gjepc@vsnl.net.in
Contact : Mrs. M.L. Prabhakar, Director

Chairman : Mr. S. Venkateswaran
Phone : 011-2432 2222
Email : gjepc@vsnl.net.in
Contact : Mrs. T. Venkateswari, Asst. Director

Chairman
The Gem & Jewellery Export Promotion Council
2nd Floor, 113 Ankur Plaza, III Floor, G.N. Chetty
Phone : 044-2222 4222
Email : gjepc@vsnl.net.in
Fax : 044-2222 4222 / 2222 4223
Contact : Mrs. M.L. Prabhakar, Director

Chairman
The Gem & Jewellery Export Promotion Council
Vijaya Bhawan, 6th Flr, 113 Wing, E.C. Wing
Phone : 011-2432 2222
Email : gjepc@vsnl.net.in
Fax : 011-2432 2222 / 2222 4223
Contact : Mrs. T. Venkateswari, Asst. Director

Vice-Chairman
The Gem & Jewellery Export Promotion Council
2nd Floor, 113 Ankur Plaza, III Floor, G.N. Chetty
Phone : 044-2222 4222
Email : gjepc@vsnl.net.in
Fax : 044-2222 4222 / 2222 4223
Contact : Mrs. M.L. Prabhakar, Director

Vice-Chairman
The Gem & Jewellery Export Promotion Council
Chhota Bazaar, New Delhi - 110 001
Phone : 011-2432 2222
Email : gjepc@vsnl.net.in
Fax : 011-2432 2222 / 2222 4223
Contact : Mrs. T. Venkateswari, Asst. Director